International Journal of Social Research and Development
www.socialsciencejournal.net
Online ISSN: 2664-8709, Print ISSN: 2664-8695
Received: 26-09-2025, Accepted: 25-10-2025, Published: 10-11-2025
Volume 7, Issue 2, 2025, Page No. 172-174

भारत में वस्तु एवं सेवा कर का प्रभाव एवं चुनौतियाँ

डॉ. जिया लाल राठौर[1], डॉ. मनीष कुमार महरा[2]
[1] भूगोल विभाग, शासकीय महाविद्यालय जैतपुर जिला, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत
[2] हिंदी विभाग, शासकीय महाविद्यालय जैतपुर जिला, शहडोल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर, आजादी के बाद भारत में सबसे बड़ा कर सुधार है जो लंबे समय से लंबित था। जीएसटी का उद्देश्य कई करों के स्थान पर एक एकीकृत कर लगाकर भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना है। जीएसटी एकमात्र अप्रत्यक्ष कर है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को सीधे जोड़ता है और इस प्रकार एक एकीकृत बाजार का निर्माण करके देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देता है। अब तक दुनिया के 160 से अधिक देशों ने जीएसटी लागू किया है, उसके बाद फ्रांस का स्थान है। भारत में जीएसटी का विचार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रस्तावित किया था और पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था। इसे 1 अप्रैल 2010 से यूपीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में लागू किया जाना था, लेकिन राजनीतिक मुद्दों और विभिन्न हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों के कारण यह लागू नहीं हो सका। मई 2016 में जीएसटी के लिए संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया हालाँकि, इसके कार्यान्वयन के विरुद्ध भारी विरोध हो रहा है। यह आलेख जीएसटी अवधारणा, उसके लाभों का अवलोकन प्रस्तुत करता है और इसकी विशेषताओं के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों पर भी प्रकाश डालता है।

मूल शब्द: वस्तु एवं सेवा कर, अप्रत्यक्ष कर, भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रस्तावना
"भारत में वस्तु एवं सेवा कर कानून एक व्यापक, बहु–चरणीय, गंतव्य–आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है", कराधान नीति किसी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत नागरिकों पर लगाए गए करों से आता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकते हैं। जब प्रभाव और घटना एक ही व्यक्ति पर पड़ती है तो इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है और जब प्रभाव और घटना दो अलग–अलग लोगों पर पड़ती है यानी बोझ किसी अन्य व्यक्ति पर डाला जा सकता है तो इसे अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में एक जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी जिसमें संघ और राज्य द्वारा अलग–अलग कई कर लगाए जाते थे, जीएसटी की शुरुआत के साथ सभी अप्रत्यक्ष कर एक छतरी के नीचे होंगे और उच्च आर्थिक विकास दर के साथ एक सुचारू राष्ट्रीय बाजार सुनिश्चित होगा। जीएसटी निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एकल बिंदु कर है। प्रत्येक चरण पर भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट मूल्य संवर्धन के बाद के चरणों में उपलब्ध होगा, इस प्रकार जीएसटी को प्रत्येक चरण में मूल्य संवर्धन पर एक आवश्यक कर बनाना जो यह सुनिश्चित करता है कि करों का कोई कैस्केडिंग नहीं है। जीएसटी ग्राहक के समग्र कर के बोझ को कम करेगा जो वर्तमान में 25–30 अनुमानित है। माल और सेवा कर या जीएसटी जो कि दुनिया भर में लोकप्रिय है, पहली बार फ्रांस में वर्ष 1954 में पेश किया गया था और बाद में 160 से अधिक देशों जैसे जर्मनी, इटली, यूके, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आदि ने जीएसटी कानून लागू किया था। अधिकांश देशों ने एकीकृत जीएसटी को अपनाया था भारत में जीएसटी का विचार 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तावित किया गया था और जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए पश्चिम बंगाल के तत्कालीन वित्त मंत्री असीम दास गुप्ता के नेतृत्व में एक समिति गठित की गई थी।

1 अप्रैल 2010 से यूपीए सरकार के तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में लागू किया जाना था, लेकिन राजनीतिक मुद्दों और विभिन्न हितधारकों के परस्पर विरोधी हितों के कारण यह लागू नहीं हुआ। मई 2016 में जीएसटी के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया था और जीएसटी को लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2017 की समय सीमा भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा निर्धारित की गई थी। अंततः 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि को भारत के राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जी और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माल और सेवा कर का शुभारंभ किया गया। विशेषज्ञों ने जीएसटी के लाभों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया है। यह एक देश एक कर पेश करेगा यह केंद्र और राज्य स्तर पर सभी अप्रत्यक्ष करों को अवशोषित करेगा और इस प्रकार कर के प्रभाव को समाप्त करेगा यह वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी लाएगा जो बदले में कंपनियों की मदद करेगा क्योंकि खपत बढ़ेगी, पंजीकरण के लिए उच्च सीमा जो कई छोटे व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को छूट देगी।

जब सभी करों को एकीकृत कर दिया जाएगा, तो रिटर्न भरने जैसे अनुपालनों की संख्या समाप्त हो जाएगी। इससे वस्तुओं और सेवाओं पर अलग–अलग कर लगाने की व्यवस्था को समाप्त करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए लेनदेन के मूल्य को वस्तुओं और सेवाओं के बीच विभाजित करना पड़ता है, जिससे जटिलताएँ बढ़ जाती हैं। इससे असंगठित क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों को शामिल करके कर व्यवस्था का दायरा व्यापक होगा और इस प्रकार कर आधार का विस्तार होगा। इससे सरकार को बेहतर और अधिक राजस्व संग्रह प्राप्त होगा। जीएसटी कार्यप्रणाली को सरल बनाएगा और ई–कॉमर्स तथा लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर कर का बोझ कम करेगा। जीएसटी प्रशिक्षित विशेषज्ञों के रूप में युवाओं के लिए रोजगार सृजन होगा।

अध्ययन का उद्देश्य
- जीएसटी की अवधारणा को समझना।
- जीएसटी के कार्यान्वयन में लाभों और चुनौतियों का आंकलन करना।
- जीएसटी की विशेषताओं का अध्ययन और समझना।

शोध पद्धति
विभिन्न पत्रिकाओं, पुस्तकों, सरकारी रिपोटों, लेखों और समाचार पत्रों से एकत्रित द्वितीयक आंकड़ों के आधार पर एक व्याख्यात्मक

शोध का अध्ययन किया जाता है जो माल और सेवा कर के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। माल और सेवा कर की अवधारणा जीएसटी या माल और सेवा कर, आजादी के बाद से भारत में सबसे बड़ा कर सुधार है जो लंबे समय से लंबित था। जीएसटी का उद्देश्य एकल एकीकृत कर द्वारा करों की मेजबानी को प्रतिस्थापित करके भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल बनाना है। जीएसटी एक व्यापक, बहु–चरणीय, गंतव्य–आधारित कर है जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जीएसटी एक आम बाजार बनाकर वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर कर के प्रभाव को कम करके भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया आयाम लाएगा। यह संपूर्ण अप्रत्यक्ष कर प्रणाली, कर संरचना, कर घटना, कर गणना, अनुपालन, इनपुट क्रेडिट उपयोग और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को प्रभावित करेगा।

जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ

1. छूट प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर, वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित सभी लेन–देन कवर किए जाएँगे।
2. जीएसटी के दो भाग हैं एक केंद्रीय जीएसटी और दूसरा राज्य जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी का भुगतान केंद्र सरकार को किया जाएगा और राज्य जीएसटी का भुगतान संबंधित राज्य सरकार को किया जाएगा।
3. सीजीएसटी और एसजीएसटी में कर योग्य व्यक्ति, कर योग्य घटनाएँ, प्रभार्यता, कर लगाने के उपाय आदि का अर्थ समान होगा।
4. सीजीएसटी का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और एसजीएसटी का प्रशासन संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं पर कराधान संबंधी कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के पास है। जीएसटी पर केंद्रसरकार द्वारा लागू किया गया कानून राज्य जीएसटी कानून को रद्द नहीं करेगा।
5. कर भुगतान और रिटर्न की सुविधा के लिए करदाता को पैन कार्ड आधारित पहचान संख्या आवंटित की जाएगी।
6. सीजीएसटी के लिए केंद्र सरकार और एसजीएसटी के लिए राज्य सरकार को अलग–अलग कर रिटर्न भरना होगा।
7. इनपुट क्रेडिट का दावा संबंधित विभाग से किया जा सकता है जहाँ जीएसटी का भुगतान किया गया है, अर्थात इनपुट पर भुगतान किया गया केंद्रीय जीएसटी केवल केंद्रीय जीएसटी के विरुद्ध ही दावा किया जा सकता है और राज्य के लिए भी यही लागू होगा।
8. यदि वस्तुओं और सेवाओं का आयात होता है तो जीएसटी लागू होगा।
9. विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए जीएसटी स्लैब 0, 5, 12, 18 और 28 निर्धारित किए गए हैं।
10. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी), जिसे अंतरराज्यीय वस्तु एवं सेवा कर के रूप में भी जाना जाता है, जीएसटी का एक घटक है जो अंतरराज्यीय व्यापार के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। इसे केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है और आयातित राज्यों को गंतव्य आधारित कर के रूप में वितरित किया जाता है। वस्तुओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर अतिरिक्त कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और सीधे निर्यातक को दिया जाता है। जीएसटी परिषद की सिफारिश के अनुसार, यह कर दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए लगाया जाएगा।
11. केंद्र सरकार, जीएसटी कार्यान्वयन से होने वाले राजस्व नुकसान के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश पर राज्यों को 5 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करेगी।
12. जीएसटी परिषद का गठन किया गया है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करेंगे। इसमें राजस्व मामलों के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्य द्वारा नामित वित्त या किसी अन्य क्षेत्र के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। भारत में जीएसटी: सरकार के प्रभाव और चुनौतियाँ। परिषद में दो–तिहाई प्रतिनिधि राज्य से और एक–तिहाई केंद्र से होते हैं। परिषद का निर्णय डाले गए मतों के तीन–चौथाई बहुमत से लिया जाता है।

साहित्य समीक्षा

केलकर (2009) समिति ने सिफारिश की थी कि जीएसटी देश की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में गुणात्मक परिवर्तन लाएगा और उत्पादन लागत में कमी के कारण सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी जिससे उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग में वृद्धि होगी। एहतिशाम अहमद और सत्य पोद्दार (2009) ने भारत में वस्तु एवं सेवा कर सुधार और अंतर–सरकारी विचार में सुझाव दिया है कि जीएसटी की शुरूआत एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली प्रदान करेगी जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि होगी, लेकिन यह जीएसटी के तर्कसंगत डिजाइन पर निर्भर करता है। पिंकी, सुप्रिया कम्मा और ऋचा वर्मा (2014) ने भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए वस्तु एवं सेवा कर–रामबाण में निष्कर्ष निकाला है कि एनडीए सरकार जीएसटी के क्रियान्वयन के प्रति सकारात्मक है, इससे सरकार और सभी हितधारकों को दीर्घावधि में लाभ होगा, लेकिन आईटी अवसंरचना को महत्व दिया जाना चाहिए।

मोनिका सेहरावत और उपासना ढांडा (2015) ने भारत में जीएसटी एक प्रमुख कर सुधार में निष्कर्ष निकाला है कि जीएसटी की शुरूआत निस्संदेह भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, लेकिन जीएसटी मॉडल के तर्कसंगत डिजाइन और समय पर कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

चुनौतियाँ

1. जीएसटी लागू करने के पीछे की मुख्य विचारधारा– एक देश एक कर भारत के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले 32 कर थे जिनमें सेवा कर, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और 28 राज्य वैट कर शामिल थे और जीएसटी लागू होने के बाद यह 31 कर हो गए जिनमें आईजीएसटी, सीजीएसटी और 28 एसजीएसटी शामिल हैं जो देश में फिर से जटिल कर ढांचे को सहन करते हैं और एक देश एक कर के सिद्धांत का खंडन करते हैं।
2. जीएसटी लागू करने के पीछे एक और मुख्य विचारधारा– कर की एक दर भारत में संभव नहीं है, क्योंकि संविधान में 101 वें संशोधन के अनुसार, अनुच्छेद 246 ए में कहा गया है कि संसद और विधान सभा वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगा सकती है। इसलिए न केवल केंद्र सरकार बल्कि राज्य सरकार के पास भी अपनी जीएसटी दर रखने की शक्ति थी। संविधान के अनुच्छेद 279 ए में कहा गया है
3. सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) को शामिल किया है, जो जीएसटी पंजीकरण, जीएसटी रिटर्न भरने, आईजीएसटी निपटान आदि जैसी सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी पोर्टल विकसित करने के लिए जिम्मेदार है। इसके लिए एक मजबूत आईटी नेटवर्क की आवश्यकता होती है। यह सर्वविदित है कि जहाँ तक आईटी नेटवर्क कनेक्टिविटी का सवाल है, भारत अभी प्रारंभिक अवस्था में है।

4. जीएसटी विषय का अद्यतन ज्ञान रखने वाले प्रशिक्षित और कुशल मानव संसाधन आसानी से उपलब्ध नहीं हैं, जिससे पूरे उद्योग जगत के पेशेवरों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ गया है।
5. भारतीय बीमा बाजार इतना विकसित नहीं है क्योंकि 10 से भी कम आबादी के पास बीमा है। यही कारण था कि सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की पहल की। हालांकि जीएसटी के लागू होने से बीमा प्रीमियम 300 आधार अंकों तक महंगे हो गए हैं, जिससे बीमा कंपनियों के लिए बाजार में प्रवेश करना मुश्किल हो जाएगा और यह बीमा जागरूकता योजनाओं के खिलाफ एक प्रतिकूल कारक के रूप में काम करेगा। सरकार की पहल प्रधानमंत्री जन धन योजना ने यह सुनिश्चित किया कि बैंक खाता रखने वाले प्रत्येक नागरिक को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि नई वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था में वित्तीय सेवाओं पर कर बढ़ा दिया गया है।
6. दूरसंचार क्षेत्र एक गंभीर समस्या मानता है क्योंकि एक तरफ सरकार डिजिटल इंडिया की शुरुआत कर रही है और दूसरी तरफ दूरसंचार सेवाएँ महंगी हो रही हैं क्योंकि दूरसंचार सेवाएँ 18 की जीएसटी कर दर को आकर्षित करेंगी
7. जीएसटी प्रशासन पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने का इरादा रखता है, क्योंकि पेट्रोलियम उत्पाद भारत में मुद्रास्फीति में प्रमुख योगदानकर्ता रहे हैं।
8. छोटे व्यापारी जीएसटी कर दर के अनुप्रयोग और परिचालन की बढ़ती लागत से भ्रमित हैं, क्योंकि वे जीएसटी के तहत रिकॉर्ड के रखरखाव और रिटर्न भरने के लिए कंप्यूटर और लेखा कर्मचारियों की लागत वहन करने में असमर्थ हैं।

निष्कर्ष

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का प्रभुत्व देश के अप्रत्यक्ष कर ढॉचे को सही ठहराने का सरकार का एक बेपरवाह प्रयास है। सरकार को दुनिया भर के विभिन्न देशों द्वारा स्थापित जीएसटी तंत्र और कार्यान्वयन से पहले उनके परिणामों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीएसटी ने मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सरल बनाया है और कर के व्यापक प्रभाव को दूर करने में मदद करता है। यह विधेयक ''एक देश, एक कर'' को लागू करने के लिए पेश किया गया था, लेकिन इसका परिणाम एक नुकसान के रूप में सामने आया क्योंकि बुनियादी वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गईं, बावजूद इसके कि सरकार अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की मांग कर रही थी और 2017–18 की दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 6.3 रही, जबकि पिछले वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 7.5 थी। यह स्पष्ट है कि जीएसटी के अनियोजित कार्यान्वयन के कारण अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है, इसलिए व्यवधानों ने गिरावट को तेज कर दिया होगा।

संदर्भ

1. मोहक गुप्ता (2017) "जीएसटी 17 साल पुराना सपना, इतिहास रचने की दिशा में" IndiaToday-in
2. मनु कौशिक (2017) दूरसंचार पर जीएसटी दर 18ः तय इसका उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस टुडे
3. कुणाल शर्मा (2017) भारत में जीएसटी की चुनौतियाँ और कमियॉ https://blog-ipleaders.
4. in/gst&one&nation&one&taÛ&negative&aspects&of&gst
5. भारतीय रिजर्व बैंक–प्रकाशन https://www-rbi-org-in/scripts/PublicationsView-aspÛ\id¾17470
6. http://www-trai-gov-in/sites/default/files/PR%20No.93&TSD&Aug&17
7. पी. मेहरा (2015) मोदी सरकार का जीएसटी मॉडल शायद विकास को कोई खास गति न दे पाए। द हिंदू
8. शेफाली दानी (2016) भारतीय अर्थव्यवस्था पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के प्रभाव पर एक शोध पत्र। व्यापार एवं अर्थशास्त्र पत्रिका, खंड–7, अंक 4
9. The Economic Times. Featured Articles from The Economic Times, 2009.
10. Sardana M. Evolution of E-Commerce in India Part 3, 2005.
11. TRAI. Highlights of Telecom Subscription Data as on 28th February, 2015.
12. Patrick M. Goods and Service Tax, Push for Growth. Centre for Public Policy Research. CPPR, 2015.
13. SKP. GST, Impact on the Telecommunications Sector in India, 2014.